

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 413/14
 संस्थापन दिनांक:-08/07/14
 फाईलिंग नं. 233504003442014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

कुलदीप पिता अशोक मांग
 उम्र 24 वर्ष, निवासी रमली,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 22.06.2014 को समय 09:30 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम रमली स्थित प्रार्थिया के घर के पीछे बाड़ी में सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी सुनीताबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सुनीताबाई को रेजर जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2014 को रात्रि करीब 09:30 बजे फरियादी की लड़की दुर्गा उसके घर के पीछे बैठी थी तभी अभियुक्त कुलदीप ने उसकी लड़की के उपर बारीक कंकड़ पत्थर फेंके जिस पर उसने अभियुक्त से पत्थर क्यों फेंका कहा तो अभियुक्त ने इसी बात पर से उसे मादरचोद बहनचोद छिनाल की बुरी बुरी गालियां दी जो उसे सुनने में बुरी लगी और अभियुक्त ने उसे रेजर जैसी वस्तु से उसके बांये हाथ की कोहनी के नीचे साईड में मारा जिससे उसे खून निकला। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 463/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी सुनीताबाई को रेजर जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 सुनीता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे मादरचोद, छिनाल की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। शंकर (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन

परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसकी पत्नी को मादरचोद, छिनाल की गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लगी थी। इस संबंध में साक्षी दुर्गा (अ.सा.-6) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसके माता पिता के साथ गाली गलौच की थी।

6 यद्यपि साक्षी सुनीताबाई (अ.सा.-1) एवं शंकर (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय मादरचोद, छिनाल की गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

7 फरियादी सुनीता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी जाना बताया है। इस संबंध में साक्षी शंकर (अ.सा.-2) एवं दुर्गा (अ.सा.-6) ने भी उनके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी।

8 यद्यपि साक्षी सुनीता (अ.सा.-1), शंकर (अ.सा.-2) एवं दुर्गा (अ.सा.-3) ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी जाना बताया है। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

9 सुनीता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि उसे अभियुक्त कुलदीप ने हाथ में रखी किसी चीज से बांये हाथ की कोहनी पर मारा था जिससे उसे खून निकला था। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि

उसने थाने में रिपोर्ट की थी और उसका मुलाहिजा भी हुआ था। साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी संतोष (अ.सा.-2) एवं साक्षी दुर्गा (अ.सा.-6) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त कुलदीप ने सुनीता को रेजर जैसी किसी चीज से मारा था जिससे उसे बांये हाथ में चोट आयी थी।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 23.06.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सुनीता का परीक्षण किये जाने पर आहत की बांयी अग्र भुजा पर 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) को प्रमाणित किया है।

11 मंगलमूर्ति (अ.सा.-5) ने दिनांक 25.06.2014 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 463/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-4) तथा दिनांक 27.06.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-5) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

12 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है तथा साक्षी एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। हितबद्ध साक्षी होने के कारण अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी किसनी बाई (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है न ही उसने घटना देखी थी और न ही उसे बाद में घटना की जानकारी हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु न्यायालय के मत में मात्र स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन के मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता क्योंकि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति दूसरे के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित प्रतीत न होने से अमान्य किया जाता है।

14 बचाव अधिवक्ता के इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में कि साक्षी सुनीता (अ.सा.-1), शंकर (अ.सा.-2) एवं दुर्गा (अ.सा.-6) एक ही परिवार के हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

15 सुनीता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना ग्राम रमली स्थित उसके घर के पीछे बाड़ी की रात के लगभग 09-09:30 बजे की है। घटना के समय उसकी लड़की दुर्गा बाथरूम करने के लिए पीछे बैठी थी और वह हाथ धोकर पीछे बैठी थी तभी अभियुक्त कुलदीप ने उसकी लड़की के उपर कंकड़ मारे तब उसने अभियुक्त से कहा कि मेरी लड़की के उपर कंकड़ क्यों फेंक। इसी बात पर से अभियुक्त ने उसके बांये हाथ की कोहनी पर किसी चीज से मार दिया। शंकर (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर खाना खा रहा था। आवाज सुनकर वह बाड़ी में आया तो उसने देखा कि अभियुक्त कुलदीप ने उसकी पत्नी सुनीता के बांये हाथ पर किसी चीज से मार दिया है। बाद में उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने उसकी बेटी दुर्गा को कंकड़ मारे थे और मना करने पर अभियुक्त ने उसे मार दिया। दुर्गा (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि अभियुक्त उसके उपर कंकड़ पत्थर फेंक रहा था। उसने अपने मां पिता को बताया तो अभियुक्त मारपीट करने लगा और रेजर जैसी किसी चीज से उसकी मां को मार दिया जिससे उसकी मां के बांये हाथ में चोट आयी थी।

16 सुनीता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर की 09-09:30 बजे की है। रात के समय उसके घर के पीछे बिजली न होने से अंधेरा रहता है। साक्षी ने पैरा क्र. 05 में यह बताया है कि घटना के समय उसका पति घर के अंदर खाना खा रहा था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं देख पायी थी कि किस चीज से चोट आयी थी। उजाले में देखा तो हाथ से खून निकल रहा था। पैरा क्र. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अपने पति के कहने पर रिपोर्ट की थी। स्वतः में कहा कि उसे अभियुक्त ने मारा था, उसके हाथ से खून निकला था इसलिए उसने रिपोर्ट की थी। शंकर (अ.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने घर के अंदर खाना खा रहा था। उसने स्वयं घटना नहीं देखी थी वह अपनी पत्नी

के बताये अनुसार घटना बता रहा है। दुर्गा (अ.सा.-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह घर के पीछे बैठी थी और वहां पर बिजली नहीं थी जिस कारण से अंधेरा था और वह अभियुक्त को नहीं पहचान पायी थी। साक्षी ने बचाव अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर अपने पुलिस कथनों में अभियुक्त द्वारा कंकड़ से मारने वाली बात और रेजर से उसकी मां को चोट आने वाली बात बताये जाने से इनकार किया है।

17 साक्षी शंकर (अ.सा.-2) ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी और घटना उसने अपनी पत्नी के बताये अनुसार बतायी है। साक्षी दुर्गा (अ.सा.-6) अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों साक्षियों के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

18 साक्षी सुनीता (अ.सा.-1) जो कि फरियादी होकर आहत है। यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। यह साक्षी अपने कथनों पर पूर्णरूपेण स्थिर है। साक्षी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं तथा अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के कथन पर स्थिर रही है। साक्षी की साक्ष्य अविलंब लेख करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 22.06.2014 की रात्रि लगभग 09:30 बजे की है तथा थाने में घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही अविलंब रात्रि करीब 11:30 बजे लेख करा दी गयी है जिससे कि प्रकरण में अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना किंचित मात्र प्रकट नहीं होती है। यद्यपि साक्षी सुनीता यह बताने में असमर्थ रही है कि उसे किस चीज से चोट आयी थी परंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं देख पायी थी कि अभियुक्त ने उसे किस चीज से मारा था परंतु साक्षी अभियुक्त द्वारा उसे मारे जाने के कथन पर पूर्णतः स्थिर है। अतः हथियार के संबंध में साक्षी के द्वारा न बताया जाना उसके संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं कर देता है। अतः उपर्युक्त साक्ष्य विवेचना से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी सुनीता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

19 अभियुक्त के द्वारा फरियादी सुनीता को कंकड़ फेंककर मारने की छोटी से बात पर से मारना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुनीताबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुनीताबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त कुलदीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

21 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी. पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व

उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

24 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी है एवं द.प्र.स. में फरियादी को साधारण प्रकृति की मात्र एक चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

25 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत सुनीता पिता शंकर निवासी रमली थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

26 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)